



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-26122022-241417
CG-DL-E-26122022-241417

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5822]

नई दिल्ली, सोमवार, दिसम्बर 26, 2022/पौष 5, 1944

No. 5822]

NEW DELHI, MONDAY, DECEMBER 26, 2022/PAUSHA 5, 1944

श्रम और रोजगार मंत्रालय

शुद्धि-पत्र

नई दिल्ली, 26 दिसम्बर, 2022

का.आ. 6065(अ).—भारत सरकार, श्रम और रोजगार मंत्रालय के भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (ii) में तारीख 23 दिसम्बर, 2022 में का.आ. 6038(अ), तारीख 23 दिसम्बर, 2022 द्वारा प्रकाशित अधिसूचना के प्रथम पैराग्राफ की दूसरी पंक्ति में लिखे गये “1 दिसम्बर 2022” के स्थान पर “1 जनवरी, 2023” पढ़ें।

[सं. एस-38013/16/2022-एसएस-1]

आलोक चंद्रा, वरिष्ठ श्रम और रोजगार सलाहकार